न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सीलिंग), पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री जब्बरसिंह (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्याः— 10 / 2022

दायरा दिनांक :— 02.03.2022

वादीः—	बनाम	प्रतिवादीगणः—
1. धनसिंह 2. विक्रमसिंह पुत्रगण जेठूदानजी, जाति चारण, निवासी अणेवा तहसील देसूरी जिला पाली		1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार तहसील देसूरी जिला पाली

उपस्थितिः—

1. श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री सुरेन्द्र सिंह लाबाना, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट्स ।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

—:निर्णयः— दिनांक 16/12/2022

निवेदन प्रार्थीगण की और से निम्न हैः—

1. अपीलांट द्वारा यह अपील अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार देसुरी के राजस्व प्रकरण संख्या 60 / 2021 अनवान सरकार बनाम धनसिंह वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 20.10.2021 के विरूद्ध धारा 75 आर.एल.आर.एक्ट, 1956 के तहत प्रस्तुत कि। अपील मयाद बाहर होने से अपीलांट ने अपील के साथ धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना—पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

2. अपील Subject to limitaion दर्ज रजिस्टर की जा कर रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकिय अधिवक्ता उपस्थित।

3. वकील अपीलाण्ट द्वारा लिखित जवाब पेश नही कर सिधे बहस हेतु निवेदन किया, जिस पर राजकिय अधिवक्ता ने भी अपनी सहमति जाहिर की। बहस उभयपक्ष सूनी गई।

4. वकिल अपीलाण्ट द्वारा बहस के दौरान अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन आज्ञा पारित करने से पूर्व प्रत्येक अपीलाण्ट को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु कोई समुचित अवसर नही दिया, जो नही देकर अधिनस्थ न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों पर गहरा कुठाराघात किया है, जो निरस्त योग्य है।

5. वकील प्रार्थी ने दुसरा तर्क दिया कि ग्राम अणेवा के खसरा नम्बर 261 रकबा 1.81 किस्म गैर मुमकीन पहाड की रिपोट हल्का पटवारी ने दिनांक 28.09.2021 को तैयार की जो तारीख 30.09.2021 को तहसीलदार के समक्ष पेश हुई, लेकिन तहसीलदार द्वारा कब प्रकरण दर्ज किया, इसकी कोई उल्लेखित नही है। रकबा 0.80 हैक्टेयर

अति. जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

प्रकट किया जबकि हल्का पटवारी की रिपोट में 1.81 हैक्टेयर बतायी है। जो प्रकरण रिपोर्ट के प्रतिकूल दर्ज किया है, इससे साफ जाहिर है कि उक्त अधिनस्थ तहसीलदार ने आंख मूंदकर पारित किया है जो आदेश खारिज करने योग्य है।

6. वकील अपीलाण्ट ने चौथा तर्क दिया कि आदेश दिनांक 20.10.2021 में अपीलाण्ट की गैर हाजरी दर्ज है नोटिस जो दिया गया था वो बमुकाम माडपुर रखी गई थी, जबकि निर्णय देसूरी में पारित किया गया हैं। इस कारण भी उक्त आदेश खारिज करने योग्य है।

7. वकिल अपीलाण्ट ने पांचवा तर्क दिया कि उक्त भूमि संबध अपीलाण्ट का खातेदारी लेने का दावा सहायक कलेक्टर देसुरी के यहां विचाराधीन है और उसमें अपीलाण्ट ने अपना कब्जा सवत 2012 से दर्शाया हुआ है तथा राजस्व अभिलेख में सवत् 2062 से लगातार खसरा परिवर्तनशील में काबिज होना अपीलाण्ट के संबंध में पटवारी हल्का ने रिपोर्ट तैयार की है, ऐसी सूरत में उक्त भूमि को हासिल करने का अपीलाण्ट हक रखते है। जैसा कि राज्य सरकार के परिपत्र अनुसार 2005 व वर्ष 2005 के पूर्व के कब्जे है उन काश्तकारों के पक्ष में भूमिहीन व्यक्तियों के हक में नियमन किया जाना चाहिये। अपीलाण्ट भूमिहीन है, लेकिन अधिनस्थ तहसीलदार ने अपीलाण्ट के पक्ष में नियमन करने की सिफारिश नही करके बेदखली का आदेश दिया है जो आदेश खारिज करने योग्य है।

8. वकिल अपीलाण्ट ने छठा तर्क दिया कि अधिनस्थ तहसीलदार ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट में वार्षिक लगान 7/– रूपये प्रकट किये है जबकि निर्णय में 6/– रूपये लिखे है जो भी आंख मूंदकर रिक्त स्थान भरे है अर्थात बिना विवके लगाये मशीनरी प्रोसेस से आदेश पारित किया हुआ है, जिसे निरस्त करना लाजमी है।

9. वकील अपीलाण्ट ने सांतवा तर्क दिया कि मौके पर सेटलमेन्ट की त्रुटि से भूमि की किस्म पहाड़ लिखी हुई है, लेकिन वास्तव में यह भूमि समतल है और राज्य सरकार के परिपत्र जो वर्ष 1977 में जारी हुआ है, अगर पहाड़ भी है और मौके पर काश्त होती है तो उसकी किस्म बदलकर उसको आंवटन की जा सकती है। लेकिन अधिनस्थ तहसीलदार ने बेदखली के पूर्व अपीलाण्ट के पक्ष में उक्त भूमि को नियमन कराने के लिए सिफारिश नही करके बेदखली का आदेश दिया है जो आदेश खारिज किये जाने योग्य है।

10. वकील अपीलाण्ट ने आंठवा तर्क दिया कि मौके पर अपीलाण्ट धनसिंह व धनसिंह का भाई विक्रमसिंह दोनों काबिज है। लेकिन प्रत्येक को नोटिस नही देकर केवल धनसिंह को देना बताया है और वो भी केम्प कोर्ट माडपुर बताया है, जबकि निर्णय तहसील में पारित किया है जो अनुपस्थिति में पारित आदेश प्रथम दृष्टया अपास्त करने योग्य है।

11. वकील अपीलाण्ट ने नौवा तर्क दिया कि अपीलाधीन आदेश के बारे में सर्वप्रथम जानकारी तारीख 25.02.2022 को तब हुई जब हल्का पटवारी लाम्पी ने अपीलाण्ट को बुलाकर यह कहा कि मौके से कब्जा बाड़ हटा देना, वरना अपीलाण्ट को तहसीलदारजी के आदेश दिनांक 20.10.2021 की पालना में कब्जे से बेदखल कर दिया जायेगा। तब अपीलाण्ट तहसील देसूरी गये और आवेदन संख्या 10 तारीख 25.02.2022 को पेश किया, जो नकल दिनांक 28.02.2022 को प्राप्त हुई, जिस जानकारी से अपीलाण्ट की अपील अन्दर म्याद पेश है। वैसे अपीलाण्ट ग्रामीण परिवेश के लोग है साथ ही धन्धे से काश्तकार है छोटे से गांव में रहते है, जिनको कानूनी तकनीकी ज्ञान की जानकारी नही है और वैसे भी अपीलाण्ट की गैरमौजूदगी में आदेश पारित किया है, जिससे जानकारी होते हुए अपीलाण्ट उक्त अपील पेश कर रहा है।

अति जिला कलक्टर (स्टाफिंग)
पाली (राज.)

अन्ततः वकिल अपीलाण्ट ने निवेदन किया कि अपीलाण्ट की अपील स्वीकार फरमावें तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधिन आदेश दिनांक 20.10.2021 को मय खर्चा खारिज फरमावें तथा अपीलाण्ट भूमिहीन हैं, जिनके पक्ष में उक्त भूमि को नियमन कराने के लिए भू आवंटन समिति के समक्ष उक्त प्रकरण को सिफारिश कराते हुए पेश करने का आदेश प्रदान करावें।

12. रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकिय अधिवक्ता ने बहस के दौरान निवेदन किया कि अपीलाण्टस द्वारा ग्राम अणेवा पटवारी हल्का लाम्पी तहसील देसूरी के खसरा नम्बर 261 रकबा 0.80 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन पहाड़ भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर रखा था। इस पर कार्यवाही करते हुए न्यायालय नायब तहसीलदार देसूरी द्वारा भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत् प्रकरण संख्या 60/2021 दर्ज किया गया। तत्पश्चात न्यायालय नायब तहसीलदार देसूरी द्वारा अपीलाण्ट को सूनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरान्त विधिसम्मत कार्यवाही करते हुए दिनांक 20.10.2021 को अपीलाण्ट को बेदखल करने का निर्णय पारित किया गया। अतः अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 20.10.2021 विधिसम्मत होने से अपील खारिज फरमाई जावें।

13. राजकिय अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह भी निवेदन किया कि अपीलाण्ट द्वारा जिस भूमि पर अतिक्रमण किया गया हैं उस भूमि कि किस्म वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार गैर मुमकिन पहाड़ हैं, जो नियमन की श्रेणी में नहीं आती हैं। अतः इस आधार पर भी उक्त प्रकरण नियमन योग्य नहीं होने से अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारीज योग्य हैं।

14. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजों एवं अभिलेखों का ध्यान–पूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में यह तथ्य स्वीकृत, स्थापित, रेकर्ड से पुष्ट होता हैं कि राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के आदेश क्रमांक पः 6(7)राज–4/77/2 दिनांक 10.01.2013 में उल्लेखित हैं कि जिस व्यक्ति के पास कुल भूमि जिसमें नियमित की जाने वाली भूमि भी सम्मिलित हैं, 04 हैक्टेयर असिंचित भूमि से अधिक न हो तो उसे भूमि नियमन की जा सकति हैं, लेकिन राजकिय अधिवक्ता का यह कथन भी स्वीकृत, स्थापित, रेकर्ड से पुष्ट हैं कि अपीलाण्ट द्वारा जिस भूमि पर अतिक्रमण किया गया हैं उस भूमि कि किस्म वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार गैर मुमकिन पहाड़ हैं, जो नियमन की श्रेणी में नहीं आती हैं।

15. यह हैं कि प्रकरण में वकिल अपीलाण्ट का यह कथन भी स्वीकृत, स्थापित, रेकर्ड से पुष्ट हैं कि अपीलाधीन आज्ञा पारित करने से पूर्व अपीलाण्ट/गैर सायल को व्यक्तिगत तौर पर नोटिस दिया जाना आदेशात्मक प्रावधान है। जैसा कि धारा 91 (3) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में प्रावधान दे रखा है। जबकि अधिनस्थ न्याायायल नायब तहसीलदार देसूरी के प्रकरण संख्या 60/2021 के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट होता हैं कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्टस को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना केवल मात्र एक तारीख पेशी पर ही अपीलाधिन निर्णय पारित किया गया। जिससे स्पष्ट होता हैं कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानानुसार अपिलाधिन आदेश पारित नहीं किया हैं। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 60/2021 में पारित अपीलाधिन निर्णय दिनांक 20.10.2021 को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतित नहीं होता हैं।

अति. जिला कलक्टर (स्थानग)
पाली (राज)

16. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना–पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता हैं तथा अपील आंशिकरूप से स्वीकार की जाति हैं। अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार देसूरी द्वारा प्रकरण संख्या 60/2021 में पारित आदेश दिनांक 20/10/2021 विधिसम्मत नहीं होने से अपास्त किया जाता हैं। प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार देसूरी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानानुसार अपीलाण्ट को साक्ष्य–सबूत पेश करने एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त नियमानुसार कार्यवाही करें। बाद पालना पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

अति. जिला कलेक्टर (सीलिंग)
पाली (राज)

यह आदेश आज दिनांक 16/12/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. जिला कलेक्टर (सीलिंग)
पाली (राज)